बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार कारखाना नियमावली, 1950, बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियमावली, 1972, एवं बिहार अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए प्रारूप बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2021, प्रारूप बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (संशोधन), नियमावली 2021, प्रारूप बिहार अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2021 का सूत्रण किया गया है। संशोधन से संबंधित प्रारूप अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) विभागीय बेवसाईट https://state.bihar.gov.in/labour पर दिनांक–08.02.2021 तक उपलब्ध रहेगा। आप से अनुरोध है कि अपना आक्षेप/मन्तव्य उपर्युक्त तिथि तक lcbihar@bihar.gov.in समर्पित किया जाय। मंतव्य/सुझाव केवल दिये गये ईमेल आई०डी० पर ही समर्पित करें।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

STC- 92

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस० ओ० पटना, दिनांक–

बिहार कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–112 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

I. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**– (1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली 2021 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

II. उक्त नियमावली के नियम–4 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के व्याख्या भाग के अंतर्गत नियम 4(1)(ग) को विलोपित और नियम 4 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

4(1).नियम 5 के अधीन, किसी भी कारखाने में किसी भी प्रकार का विनिर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके संबंध में अनुज्ञप्ति कारखाना निरीक्षक द्वारा निर्गत नहीं किया गया हो और यह कारखाना बंद होने तक मान्य रहेगा ।

III उक्त नियमावली के नियम–5 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के नियम–5 के उप नियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

5(2) इस अध्याय के अधीन निर्गत प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसे कारखानों के बंद होने तक प्रभावी रहेगा।

IV. उक्त नियमावली के नियम 7 को विलोपित किया जाएगा ।

V. उक्त नियमावली के नियम 9 को विलोपित किया जाएगा ।

VI. उक्त नियमावली के नियम–11 में संशोधनः–

उक्त नियमावली के नियम–11 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

दखलकार का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक को पंजीकरण और अनुज्ञप्ति निर्गत के लिए या अनुज्ञप्ति के संशोधन के हस्तांतरण के लिए निर्धारित समय के भीतर नियमानुसार आवेदन देगा ।

VII. उक्त नियमावली के नियम 56 को विलोपित किया जाएगा ।

VIII. उक्त नियमावली के नियम 59 (ख) को विलोपित किया जाएगा ।

IX. उक्त नियमावली के नियम 78 (क) और 78 (ख) को विलोपित किया जाएगा ।

X. उक्त नियमावली के नियम 85 को विलोपित किया जाएगा ।

XI. उक्त नियमावली के नियम 86 को विलोपित किया जाएगा ।

XII. उक्त नियमावली के नियम 87 (क) को विलोपित किया जाएगा ।

XIII. उक्त नियमावली के प्रपत्र–13, प्रपत्र–14 एवं प्रपत्र–21 को निरसित किया जायेगा और प्रपत्र 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

प्रपत्र संख्या–4

बिहार सरकार

कारखाना निरीक्षणालय

निबंधन संख्या– फीस–

कारखाना का नाम–

कारखाना का पता एवं अवस्थिति–

कारखाना के दखलकार का नाम–

नियोजित किये जाने वाले अधिकतम कामगारों की संख्या–

कुल स्थापित क्षमता अश्वशक्ति मे

विद्युत् उत्पादन एवं रूपांतरण स्टेशन के मामले में कुल स्थापित क्षमता किलो वाट में ....

मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार

....

ज्ञापांकः–1/F1-125/2016, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव।

एस० ओ० दिनांक का अंग्रेजी भाषा में

निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सुर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः—1/F1-125/2016, श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः—1/F1-125/2016, श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः—1/F1-125/2016, श्र०सं०— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Govt. of Bihar
Labour Resource Department

Notification

S. O. **Patna, Date:**

In exercise of the powers conferred under section 112 of the Factories Act, 1948 (LXIII of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar factory Rules, 1950:-

I. (1) **Short title, extent and commencement.**- These Rules may be called the Bihar Factories (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall extend to the whole of Bihar

(3) It shall come into force at once.

II. Amendment in Rule 4 of the said Rules:-

The explanation part of Rule 4(1) (c) shall be omitted and Rule 4(1) of the said Rule shall be substituted by the following:-

4(1). Subject to the provision of rule 5, no manufacturing process shall be started or carried on in any factory unless a licence in the respect thereof has been granted by the, Inspector of Factories and same is valid till the closure of the factory.

III. Amendment in Rule 5 of the said Rules:-

Sub-Rule (2) of Rule 5 of the said Rule shall be substituted by the following:-

5(2). Every license granted under this chapter shall remain valid till the closure of factory.

IV. Rule-7 of the said rule shall be omitted.

V. Rule-9 of the said rule shall be omitted.

VI. Amendment in Rule 11 of the said Rules:-

Rule 11 of the said Rule shall be substituted by the following:-

11. It shall be the duty of the occupier to submit to the Inspector of Factories, of the area concerned, application for registration and grant of licence or for transfer of amendment of the licence as may be necessary within the time prescribed in the foregoing rules.

VII. Rule-56 of the said rule shall be omitted.

VIII. Rule-59(B) of the said rule shall be omitted.

IX. Rule-78(A) and (B) of the said rule shall be omitted.

X. Rule-85 of the said rule shall be omitted.

XI. Rule-86 of the said rule shall be omitted.

XII. Rule-87A of the said rule shall be omitted.

XIII. Form-13, Form-14 and Form-21 of the said Rules shall be omitted and Form-4 shall be substituted as following;-

FORM NO. 4
GOVERNMENT OF BIHAR
Factory Inspection Department
License to work a factory.

Registration No.......................... Fees Rs.............
Name of factory
Address and location of factory ..
Name(s) of Occupier (s) of the Factory ..
Maximum number of workers to be employed.
TOTAL INSTALLED CAPACITY OF HORSE POWER.
In case of Electric Generating and transforming stations total installed capacity in K. W's

Chief Inspector of Factories. Bihar

....

(No. 1/F1-125/2016, L.R.)

Patna, Date

By The order of the Governor of Bihar

(Surykant Mani)

Deputy Secretary to the Government

ज्ञापांकः–1/F1-125/2016, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–1/F1-125/2016, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–1/F1-125/2016, श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।